

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



दूरभाष Telephone : 011-2089 7009

ई-मेल E-mail : [zone.north.soi@gov.in](mailto:zone.north.soi@gov.in)



अपर महासर्वेक्षक का कार्यालय  
Office of the Additional Surveyor General  
उत्तरी क्षेत्र Northern Zone  
निकट पालम रेलवे फाटक  
Near Palam Railway Crossing  
दिल्ली कैंट Delhi Cantt.-110 010

सं० No.प्रशा०- 487 /37-जी-9/संग्रह-9 (Comp.No.2439)

दिनांक Dated 15-04-2026

नेमी आदेश संख्या/ ROUTINE ORDER No.02

1. पदोन्नति पर स्थानांतरण/तैनाती - Transfer/Posting on Promotion: -

निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से स्थापना एवं लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपित्रत) के पद पर 'वेतन मैट्रिक्स' लेवल-7 में नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

The following Person has been promoted to the post of Establishment & Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) on regular basis in the Pay Matrix level-7 with effect from the date shown against his name: -

क्रम सं. Sl No.	नाम व पदनाम Name & Designation	पदोन्नति पर पद Post on Promotion	पदोन्नति/स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि Date of Joining on promotion/transfer	किस कार्यालय से स्थानांतरित हुए Office from which Transferred	टिप्पणी Remarks
1.	श्री एम. वासूदेव, कार्यालय अधीक्षक Shri M. VASUDEV Office Superintendent	स्थापना एवं लेखा अधिकारी Establishment & Accounts Officer	27.03.2026 (पूर्व./F.N.)	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना जीडी, हैदराबाद AP & T GD, Hyderabad	-

प्राधिकार/Authority:-महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून का दिनांक 06.03.2026 का पत्र सं. CP-253/718(E&AO)(7087)

- उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, दिल्ली कैंट द्वारा किया जाएगा।  
The pay of the above officer will be fixed by the Head of Office, Northern Zone Office, Delhi Cantt.
- उपरोक्त अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर.-22(1) (क) (1) के तहत अपना विकल्प देना होगा। यदि उपरोक्त अधिकारी को एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत एफ.आर.-22(1) (क) (1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। The Officer concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR-22(1) (a) (1). If the aforementioned officer has already received the benefit of FR-22(1)(a)(1) under the MACP Scheme, his pay fixation shall be carried out in accordance with the prescribed rules.

- अतिरिक्त सन्निहित व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा। The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the financial year 2026-2027 and debited to the appropriate Head of Account.

2. **एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन लाभ प्रदान करना -**

**Granting of the Third Financial Upgradation Benefit under the MACP Scheme-**

केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए 'संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन' (MACP) योजना के तहत, इस कार्यालय के निम्नलिखित कार्मिक को 'वेतन मैट्रिक्स' के 'लेवल-7' में तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:-

Under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for Central Government Civil Employees, the benefit of the 3rd financial upgradation in 'Level7' of the 'Pay Matrix' is hereby granted to the following personnel of this office, as follows:-

क्रम सं. SI No.	नाम व पदनाम Name & Designation	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एम.ए.सी.पी. 1 <sup>st</sup> /2 <sup>nd</sup> /3 <sup>rd</sup> MACP	एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने की तिथि Date of Grant of MACP	वेतन लेवल Pay Level	टिप्पणी/ Remarks
1.	श्री जितेन्द्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक Shri JITENDRA SINGH, Office Superintendent	तृतीय एम.ए.सी.पी. 3 <sup>rd</sup> MACP	22.02.2026	लेवल-7 Level-7	-
प्राधिकार/Authority:-महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून का दिनांक 01.04.2026 का पत्र सं.सी-406/1902-एम.ए.सी.पी. (जनरल)					

- उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, दिल्ली कैंट द्वारा किया जाएगा।  
The pay of the above officer will be fixed by the Head of Office, Northern Zone Office, Delhi Cantt.
- उपरोक्त अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर.-22(1) (क) (1) के तहत अपना विकल्प देना होगा।  
The Officer concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR-22(1) (a) (1).
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा। The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the financial year 2026-2027 and debited to the appropriate Head of Account.

### 3. सेवानिवृत्ति - Retirement:-

इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सामने दर्शायी गये विवरणानुसार, वह सरकारी सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुये हैं:-

The following Officers of this office have retired on superannuation from Govt service as per details shown against his name:-

क्रम सं० Sl.No.	नाम व पदनाम Name and Designation	सेवानिवृत्ति की तिथि Date of retirement
1.	श्री जगदेव सिंह, स्थापना एवं लेखा अधिकारी Shri JAGDEV SINGH, Establishment & Accounts Officer	28.02.2026 (अप०/A.N.)

(नितिन जोशी)

अपर महासर्वेक्षक

वितरण:-

- भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून।
- निदेशक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ जीडी, चंडीगढ़/ उत्तराखंड जीडी, देहरादून/ उत्तर प्रदेश जीडी, लखनऊ/ जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जीडी, जम्मू/ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय एवं दिल्ली जीडी, नई दिल्ली/ विंग प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुद्रणालय, दिल्ली कैंट/ अंधप्रदेश एवं तेलंगना जीडी, हैदराबाद।
- वेबसाइट प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईटी सेल), भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून (E-mail: admn.soi@gov.in)
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर को सूचनार्थ ।
- कार्यालय अधीक्षक, लेखा/आदान, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को उपरोक्त पत्रों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु।